न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 24/2019/अपील

कैलाश पुत्र फूसाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास, तहसील व जिला सीकर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. सुगनी देवी धर्मपत्नी स्व. कुरड़ा
2. पप्पू पुत्र स्व. कुरड़ा
3. भगत पुत्र स्व. कुरड़ा
4. फुसाराम पुत्र स्व. बोदूराम

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर (राज.)

5. नन्दकिशोर पुत्र स्व. फुसाराम
6. नाथी पत्नी फुसाराम
7. सीता देवी पत्नी कैलाश
8. रेशमी देवी पत्नी नन्दकिशोर

समस्त जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर (राज.)

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पो. की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.06.2019 द्वारा न्यायालय तहसीलदार सीकर पत्रावली संख्या 4/2017 उनवानी सुगनी वगै. बनाम फुसाराम वगै. आवेदन अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांकः 27.08.2024

1. अपीलांट **कैलाश** की ओर से यह अपील वकील **श्री सांवरमल** द्वारा **अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.06.2019 द्वारा**

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

न्यायालय तहसीलदार सीकर पत्रावली संख्या 4/2017 उनवानी सुगनी वगै. बनाम फुसाराम वगै. आवेदन अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:–

(1) रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 26.09.2017 को अपीलाधीन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होने स्वयं को प्रार्थीगण एवं अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ता 8 को अप्रार्थीगण अभिकथित करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर के मूल निवासीगण है। प्रार्थीगण जाति से बलाई होकर अनुसूचित जाति के सदस्य की संज्ञा में आते है और इसी प्रकार अनावेदकगण गुर्जर जाति के होकर स्वर्ण जाति के सदस्यों की संज्ञा में आते है। प्रार्थीगण की तीन किता कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 125 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.76 हैक्टेयर व 188 रकबा 1.60 हैक्टेयर वाके ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर में अवस्थित चली आ रही है। आवेदकगण इन कृषि आराजीयात के एकमात्र काबिज, खातेदार, काश्तकार है। इन कृषि आराजियात में महज खसरा नम्बर 141 का विवाद है। आवेदकगण के खातेदारी, अधिकार की कृषि आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.76 हैक्टेयर के दक्षिण की ओर सटकर प्रमुख सड़क है। इस कारण इस भूमि की कीमत भी अधिक हो गई और जमीन भी मौके की है। जब प्रार्थी के भ्राता भगत व कुलदीप बाहर कमाने खाने गये थे पप्पूराम को अकेला पाकर खेत खसरा नम्बर 141 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 110 फुट गुणा 110 फुट भूमि पर 4 दुकानें व एक सर्विस स्टेशन पुख्ता बना लिया है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न मानचित्र संख्या क में बरंग सुर्ख ए.बी.सी.डी से दर्शाया गया है तथा रेवेन्यू ट्रेस को बअक्षर ख से दिखाया गया है। अनावेदकगण का उक्त कृत्य काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) में अतिक्रमी की संज्ञा में आता है। आवेदकगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जिनकी भूमि पर अतिक्रमण करने का अनावेदकगण को कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा किया गया है तो अनावेदकगण "समरी ट्रायल" के अंतर्गत बेदखल किये जाकर शास्ती लगाये जाने का कारण बनते हैं। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को उक्त भूखण्ड से बेदखल कर भूमि को उनके खर्चे पर साफ सुथरा कायम

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

करवा आवेदकगण को कब्जा दिलवाया जावे तथा अनावेदकगण पर नियमानुसार शास्ति आरोपित फरमाई जावे।

(2) उक्त आवेदन दिनांक 03.10.2017 को मुकदमा नम्बर 4/2017 बउनवानी सुगनी देवी वगै. बनाम फूसाराम वगै. के रूप में दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किये गये तथा पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 25.10.2017 निर्धारित कर दी गई। निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 25.10.2017 अपीलांट जरिये वकील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गया शेष पक्षकारान के पुनः नोटिस जारी किये जाने बाबत आदेश पारित हुए तथा तारीख पेशी दिनांक 07.11.2017 निर्धारित कर दी गई। दिनांक 07.11.2017 को अपीलांट की ओर से एक आवेदन आपत्ति प्रस्तुत किया गया तथा जवाब आवेदन अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रस्तुत किया गया। जवाब आवेदन में अपीलांट की ओर से कथन किया गया कि अनावेदक गुर्जर जाति का अवश्य है परन्तु स्वर्ण जाति की परिभाषा की जानकारी नहीं है ना ही अनावेदक स्वर्ण जाति में आते है। भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 0.76 हैक्टेयर कभी भी कृषि के काम नहीं आयी, ना ही खसरा नम्बर 141 वाके ग्राम लखीपुरा की भूमि पर प्रार्थीगण अथवा उनके पिता कुरड़ा ने कभी काश्त नहीं की बल्कि खसरा संख्या 141 की भूमि सदैव से ही नाकाबिले काश्त होकर राजस्थान काश्तकारी प्रभाव में आने से पहले से ही बिना काश्त की भूमि है तथा वर्तमान में भी काश्त के काम नहीं आ रही है। खसरा संख्या 141 की अधिकांश भूमि को प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व 1 के पति कुरड़ा द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अकृषि प्रयोजनार्थ बेचान किया जा चुका है जिस पर विभिन्न व्यक्ति पक्के आवासीय मकानात, दुकानात निर्मित करके काबिज है। इसलिए खसरा संख्या 141 का विवाद होने का प्रश्न ही नहीं है। खसरा संख्या 141 की भूमि आवेदक के खातेदारी अधिकार की भूमि नहीं है, ना ही कभी पूर्व में रही है। बल्कि उक्त भूमि का कुरडाराम ने अपने जीवन काल में ही छोटे–2 भूखण्डों के रूप में बेचान कर दिया था। जिस कारण इस नाकाबिले काश्त भूमि में ना तो खातेदारी रही है, ना ही विक्रीत भूमि में कभी कब्जा रहा है। परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि की कीमते अधिक हो जाने के कारण प्रार्थीगण के मन में बेईमानी आ गई, जिन्होने वर्तमान में उक्त भूमि गलत रूप से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण मन में बेईमानी रखते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकगण ने भी भूमि खसरा संख्या 141 में किता 6 दुकानों का निर्माण कर रखा है और उक्त भूमि का व्यावसायिक रूप से

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

उपभोग–उपयोग किया जा रहा है तथा दुकानों के पीछे ही आवेदकगण के आवासीय मकानात है। आवेदकगण की आर्थिक स्थिति भी अत्यधिक सुदृढ है। ना ही अप्रार्थीगण ने आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व भूमि खसरा संख्या 141 के दक्षिणी–पूर्वी कोने में 110 गुणा 110 फिट पर दुकाने व सर्विस स्टेशन पुख्ता बनाया बल्कि खसरा संख्या 141 के पुराना खसरा संख्या 79/2 की भूमि में से आवेदक संख्या 2 व 3 के पिता व 1 के पति कुरड़ाराम ने किता एक आवासीय भूखण्ड 60 हाथ गुणा 60 हाथ यानी एक बीघा कच्ची भूमि का दिनांक 01.07.1987 को पर्याप्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता फुसाराम को सम्भला दिया था व अपना कब्जा शून्य कर लिया था तथा उक्त बेचान बाबत विक्रय अनुबंध पत्र उपस्थित साक्षीगण की उपस्थिति में निष्पादित करके नोटरी के रजिस्टर में क्रमांक 10312/87 दिनांक 01.07.1987 को अंकित करवा दिया था। उसके पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता फूसाराम अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ने उसी समय क्रय की गई भूमि पर पुख्ता डण्डा का निर्माण करवाया तथा पट्टियों का बाडा बनाकर काबिज हो गया एवं करीब 15 वर्ष पूर्व पट्टियों की दुकान निर्मित की थी तथा उक्त पट्टियों की दुकानों को तोडकर अर्सा करीब 7 वर्ष पूर्व आरसीसी की छत सहित शट्टरयुक्त दुकानों का निर्माण किया था। उसी समय से दुकानें नियमित रूप से चालू है एवं उसी समय सर्विस सेंटर निर्मित किया था। क्रयशुदा भूखण्ड में 3 फेस व 2 फेस के कुल 2 विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखे है तथा कंटीले तार बनाने का कार्य किया जाता है एवं अप्रार्थीगण निरंतर एवं निर्विवाद रूप से काबिज है। जिस कारण अनावेदकगण अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आते है ना ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 183(बी) की कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा संस्थित किये जाने का प्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार है तथा अनावेदक संख्या 1 का अर्सा करीब 30 वर्ष से कब्जा होने के कारण धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन सर्वथा मियाद बाहर है। इसलिए आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थीगण ने खसरा संख्या 141 वाकै ग्राम लखीपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अनावेदक संख्या 1 को कुरडाराम ने अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था उस समय भी उक्त भूमि में काश्त नहीं होती थी बल्कि कभी भी काश्त के काम में नहीं आयी तथा जिस भूखण्ड के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उस भूखण्ड पर 30 वर्ष से अप्रार्थी एवं उसके परिवारजनों का कब्जा है एवं उक्त भूमि सदैव से ही अकृषि प्रयोजनार्थ

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

काम में आ रही है, जिस कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सर्वथा मियाद बाहर है एवं आवेदकगण की खसरा सख्या 141 की भूमि में खातेदारी समाप्त है। जिन्हे धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने का लोकस्टण्डाई नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण समरी ट्रायल कें अन्तर्गत अप्रार्थीगण को बेदखल करवाने, शास्ती लगवाने तथा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिये आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। खसरा संख्या 141 की भूमि कृषि के काम में कभी भी नहीं आई है ना ही अप्रार्थीगण 110 गुणा 110 फिट के अतिक्रमी है बल्कि अनावेदक संख्या 1 ने अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता कुरडाराम से कब्जा प्राप्त किया था व आरसीसी व शट्टरयुक्त दुकानें अर्सा करीब 7 वर्ष पूर्व निर्मित की थी, सर्विस स्टेशन भी उसी समय निर्मित किया था आरसीसी की दुकानों से पूर्व अर्थात करीब 15 वर्ष पूर्व पट्टियों की दुकाने थी। इससे स्पष्ट है कि आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नहीं है एवं आवेदन प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। उक्त भूमि कानूनन सरकारी भूमि होने एवं व्यवसायिक पट्टा प्राप्त करने का अप्रार्थी संख्या 1 अधिकारी है, पटटा के लिए प्रिमियम राशि राज्य सरकार को अदा करने हेतु तैयार है परन्तु आवेदकगण को धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करने का ना तो अधिकार प्राप्त है ना ही खसरा संख्या 141 की भूमि कृषि भूमि है जिस कारण माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थीगण माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये है तथा आवेदन में सर्वथा मिथ्या कथन अंकित किये है। खसरा संख्या 141 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि पर कभी भी काश्त नहीं हुई बल्कि उक्त भूमि अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व से व्यावसायिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ काम में आ रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व ही नाकाबिले काश्त है। इस भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 को अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व एक बीघा कच्ची भूमि का काबिज, रिकार्डेड खातेदार कुरडाराम ने बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। जिसका विस्तृत विवरण जवाब आवेदन की उपरोक्त मदों में किया जा चुका है तथा अनावेदक संख्या 1 को बेचान किया गया भूखण्ड के पश्चिम की तरफ रतनलाल कुमावत को 110 गुणा 75 फिट भूमि कुरडाराम खातेदार ने बेचान की थी तथा रतनलाल के पश्चिम की तरफ 100 गुणा 90 फिट का भूमिखण्ड बजरंगलाल कुमावत को एवं बजरंगलाल से पश्चिम की तरफ 20 गुणा 85 फिट

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

का भूखण्ड रामाल कुमावत को एवं रामपाल कुमावत के पश्चिम की तरफ 60 गुणा 80 फिट का भूखण्ड सुल्तान कुमावत को एवं सुल्तान कुमावत के पश्चिम की तरफ का 50 गुणा 115 फिट का भूखण्ड रिछपाल कुमावत को आवेदकगण के पिता/पति कुरडाराम ने अपने जीवन काल में बेचान कर दिये थे। उक्त सभी ने खसरा संख्या 141 मे दुकानों का निर्माण कर रखा है। इसके अलावा अनावेदक संख्या 1 को विक्रय किया गया भूखण्ड के पूर्व साईड में प्रार्थीगण ने भी किता 6 दुकानों का खसरा संख्या 141 में ही निर्माण कर रखा है एवं दुकानों के पिछे आवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जहां पर मय परिवार आवास निवास करते है इस प्रकार से खसरा संख्या 141 की भूमि अर्सा करीब 30 वर्ष से कुरडाराम की पूर्ण सहमति से व्यावसायिक एवं आवासीय उपयोग में आ रही है। जिसकी मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी से प्राप्त किया जाना न्याय संगत है तथा अनावेदकगण द्वारा सर्वथा मिथ्या आवेदन प्रस्तुत करने के कारण खसरा संख्या 141 संपूर्ण से प्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त किया जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करके खसरा संख्या 141 की किस्म परिवर्तित कर अनावेदक संख्या 1 को उसके कब्जा, अधिकार की भूमि का व्यावसायिक पट्टा जारी किया जाना प्रार्थनीय है। अनावेदक संख्या 1 प्रिमियम राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

(3) पत्रावली की आगामी कार्यवाहियों में अपीलाधीन आवेदन के अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 6 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, अप्रार्थी संख्या 5 की तामील बाकी रही। अपीलांट की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जो अनिर्णित रहा। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 6 की ओर से जवाबदेही बकाया रही, फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा प्रक्रियात्मक विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए दिनांक 25.06.2019 को अपीलाधीन आदेश इस आशय का पारित कर दिया कि इस प्रकार अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर स्वर्ण जाति के सदस्य का कब्जा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजात एवं जांच रिपोर्ट से सिद्ध पाया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) के अंतर्गत बेदखली योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाया जावे व आदेश दिया जाता है कि भू.अ.नि. व

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

पटवारी को निर्णय की पालना हेतु भिजवाया जावे। जो कतई विधि सम्मत् नहीं होने की वजह से स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा अपीलाधीन आवेदन इस निष्कर्ष के आधार पर पारित किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई है कि अप्रार्थीगण के जवाब में यह कथन कि उनके द्वारा कुरडाराम से जरिये इकरारनामा आवासीय भूखण्ड क्रय किया गया था परंतु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा नहीं भूमि का क्रय विधि संगत किया जाना प्रमाणित नहीं है तथा अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि का क्रय अनुसूचित जाति वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग को नहीं किया जा सकता है। जबकि अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य न होकर सामान्य वर्ग के सदस्य है जबकि अप्रार्थीगण ने भूखण्ड पर अपनाभकरना स्वीकार किया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि कभीभी कृषि भूमि के उपयोग में नहीं आयी है, इस कारण प्रस्तुत प्रकरण में धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलांट अपने पिता के साथ विधि अनुसार विवादित भूखण्ड पर काबिज है जिसे अतिचारी मानते हुए धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस तथ्य एवं कानूनी स्थिति की ओर गौर नहीं किया गया कि अपीलाधीन आवेदन सर्वथा मियाद बाहर है। फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मियाद बिन्दु पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर अपीलाधीन आवेदन स्वीकार किये जाने में गंभीर त्रुटि की गई है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है।

(6) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व न तो अपीलांट की बहस सुनी गई तथा ना ही सबूत साक्ष्य का अवसर दिया गया है। इस कारण अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण भी निरस्तनीय है।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उस दिन अपीलाधीन आवेदन के आवेदकगण व उनके अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं थे। ऐसी स्थिति में आवेदन अदम हाजरी में खारिज किया जाना था न कि अपीलाधीन आदेश। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है।

(8) अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2019 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो. की ओर से वकील श्री विजय कुमार शर्मा उपस्थित हुए।

3. हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपीलांट एवं रेस्पो. संख्या 4 ता 8 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होने स्वयं को प्रार्थीगण एवं अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ता 8 को अप्रार्थीगण अभिकथित करते हुए कथन किया कि "प्रार्थीगण जाति से बलाई होकर अनुसूचित जाति के सदस्य की संज्ञा में आते है और अनावेदकगण गुर्जर जाति के होकर स्वर्ण जाति के सदस्यों की संज्ञा में आते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 141 रकबा 0.76 हैक्टेयर वाके ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 4 ता 8 ने 110 फुट गुणा 110 फुट भूमि पर 4 दुकानें व एक सर्विस स्टेशन पुख्ता बना अतिक्रमण कर लिया है। उक्त कृत्य काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) में अतिक्रमी की संज्ञा में आता है।"

रेस्पो. सं. 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रकरण अन्तर्गत धारा 183(बी) प्रकरण संख्या 04/2017 बउनवानी सुगनी बनाम फुसाराम में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.06.2019 को उभयपक्ष को अनुपस्थित बताते हुए रेस्पो. का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 4 ता 8 को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जबकि अपीलांट जो कि अधीनस्थ न्यायालय

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

की पत्रावली में बतौर अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार संयोजित है की ओर से दिनांक 25.10.2017 को वकील उपस्थित आये हैं एवं दिनांक 07.11.2017 को जवाब भी पेश किया है। दिनांक 10.04.2018 को भू.अ.नि. को मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट बाबत आदेश दिये गये हैं जिसकी पालना में दिनांक 09.05.2018 को रिपोर्ट पेश भी की गई है। दिनांक 04.06.2018 को पत्रावली पर अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहले उक्त आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. को निर्णित किया जाना चाहिये था। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणिक है। प्रकरण में यदि उभयपक्ष अनुपस्थित रहे हैं तो प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाये बिना चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.06.2019 पारित किये गये हैं जो कि निरस्त किये जाने योग्य हैं।

रेस्पो. की ओर से उपस्थित वकील ने कथन किया कि, अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 4 ता 8 ने रेस्पो. के कब्जे खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 141 वाके ग्राम लखीपुरा पटवार हल्का पुरोहित का बास तहसील व जिला सीकर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 110 फुट गुणा 110 फुट भूमि पर 4 दुकानें व एक सर्विस स्टेशन पुख्ता बना अतिक्रमण कर लिया है। रेस्पो. सं. 1 अनुसूचित जाति से है एवं अपीलांट सवर्ण जाति से है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कृत्य काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) में अतिक्रमी की संज्ञा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2019 न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

4. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:—

(1) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा दिनांक 26.09.2017 को अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें उन्होने स्वयं को प्रार्थीगण एवं अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 ता 8 को अप्रार्थीगण अभिकथित करते हुए भूमि खसरा नम्बर 141 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर 110 फुट गुणा 110 फुट भूमि पर 4 दुकानें व एक सर्विस स्टेशन पुख्ता बना कर अतिक्रमण किये जाने के कथन अंकित किये हैं।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(2) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण संख्या 04/2017 बउनवानी सुगनी बनाम फुसाराम में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.06.2019 को उभयपक्ष को अनुपस्थित बताते हुए रेस्पो. का आवेदन स्वीकार कर अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 4 ता 8 को बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जबकि अपीलांट जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बतौर अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार संयोजित हैं, की ओर से दिनांक 25.10.2017 को वकील उपस्थित होकर आगामी पेशी पर जवाब पेश किया गया है। जो कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणिक है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. भी निर्णित किया जाना शेष है।

(4) प्रकरण में यदि उभयपक्ष अनुपस्थित रहे हैं तो प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की पूर्ण प्रक्रिया को अपनाये बिना चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 25.06.2019 पारित किये गये हैं।

(5) अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि, विधि में निर्दिष्ट पूर्ण प्रक्रिया अपनाये बिना ही चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किये गये हैं।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट **स्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर को प्रकरण **प्रतिप्रेषित** कर निर्देशित किया जाता है कि विधिनुसार पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए पक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य के समुचित अवसर प्रदान कर एवं राजस्व रिकार्ड की पूर्ण जांच कर गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

6. निर्णय आज दिनांक **27 अगस्त, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर